ग्राम पंचायत रोघी, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत रोघी, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्धारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मति प्रोमिला	1.4.2014 से 22.01.2016
2	श्री पदम चन्द	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मति छोरिंग डोलमा	1.4.2014 से 14.9.2016
2	श्री बाबू राम	14.9.2016 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:- ग्राम पंचायत रोघी के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	9	विभिन्न व्ययों का नकद भुगतान किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना	3.63
2	11	अनुदान का उपयोग न करना	27.19
3	12	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना	6.99
4	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	3.23
5	14	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की **भण्डार रजिस्टरों** में **प्रविष्टियाँ न करना**	4.93
6	15	वाउचर को सत्यापित किए बिना **अनियमित** भुगतान करना	0.84

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत रोघी, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 24.10.2017 से 27.10.2017 के दौरान ग्राम पंचायत कल्पा के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2014-15	1/2015	9/2014
2015-16	5/2016	8/2015
2016-17	8/2016	9/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत **रोघी**, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र.-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 595/2017 दिनांक 27.10.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, **रोघी** से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव, ग्राम पंचायत **रोघी** द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार own sources, Lada, MG NREGA, Integrated Water Shed Project,13th &14th finance commission , Indra Awas yojna, Rajeev Awas yojna & General cash book (Recorded General Grant In Aid) को अलग अलग रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts पूर्ण नही किए गये है। Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों का विस्तृत विवरण नही दिया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट- 1"** पर दिया गया है।

5 (क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

ग्राम पंचायत **रोघी** की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम

7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत राजस्व ₹0.03 लाख वसूली हेतु शेष

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक राजस्व ₹2840 की वसूली शेष थी। अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

7. निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पड़ताल पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** में दिये गए विवरणानुसार **हस्तगत** राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय ₹0.14 लाख के उद्देश्य इत्यादि के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध न करवाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्धारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव द्वारा फार्म-3 में उस प्राप्ति के बदले में रसीद जारी किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ₹14350 प्राप्ति के बदले कोई रसीद जारी नहीं की गई थी। अत: इस संदर्भ में विभागीय तौर पर आवश्यक इस राशि की प्राप्ति और उद्देश्य की छानबीन की जाए । साथ ही प्राप्त आय के बदले में रसीद जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Date of Receipt of Grant	Amount of Receipt	Cash Book Page No.	Account no. in which Grant Credited	From where Grant Received
14.1.2015	10000.00	73	5149	D.P.O.Kinnour
14.1.2015	4050.00	73	5149	S.D.O I.P.H. Reckongpeo
Total	**14050.00**			

9. विभिन्न व्ययों ₹3.63 लाख का नकद भुगतान किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना की आशंका

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार ₹1000 से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक द्वारा संबन्धित

व्यक्ति को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाऊचरों, बैंक पास बुकों और चैक बुकों की **Counterfoils** की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹**363469** के व्यय वाऊचरों/Must roll का भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके पंचायत प्रधान/ और पंचायत सचिव को किया गया दर्शाया गया था। ऐसे सभी भुगतानों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट-4** पर दिया गया हैं। बैंक चैक को संबन्धित व्यक्ति के नाम जारी न करके अपितु पंचायत प्रधान/पंचायत सचिव के नाम जारी करने से भुगतान की गई राशि की दुर्विनियोजना की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । अत: नियमों की अनदेखी करके भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति को न करके पंचायत प्रधान/पंचायत सचिव के नाम जारी किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन सभी भुगतानों की सत्यता की पड़ताल विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतान सीधे प्राप्तकर्ता के नाम जारी बैंक चैक से ही किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 596/2017 दिनांक 27.10.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 1/17 दिनांक 27.10.2017 से सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि ज़्यादातर भुगतान मजदूरो को किए गए थे, जिनके बैंक खाते नहीं थे। भविष्य में सभी भुगतान संबन्धित व्यक्तियों को ही किए जायेगे।

10. बजट प्राक्कलन तैयार न करना

फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत **के** कार्यवाही **रजिस्टर** (Minutes Book of Gram Panchyat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

11. अनुदान ₹27.19 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्व: स्रोत्रों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट-5)** के अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक कुल **₹2718966** उपयोग हेतु शेष थे। अत: अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

12. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹6.99 लाख का अनियमित व्यय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा "परिशिष्ट-6"** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹**698856** का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी

स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिकत किए गए कार्यो को माप पुस्तिका में दर्ज नही किया गया **था** जो कि संशय पैदा करता है कि वास्तव में **परिशिष्ट** में दर्शाये गए कार्य किए गये **थे** अथवा नहीं जिसकी पूर्ण जांच कि जानी आपेक्षित है। **अतः** निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

13. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.23 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) **द्वारा** स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की **औपचारिकताऐं** प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट-7"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा ₹322945** के स्टॉक/स्टोर का क्रय **औपचारिकताऐं अर्थात निविदाऐं आमन्त्रित करना आदि** को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. क्रय किए गए ₹4.93 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक रजिस्टरों में प्रविष्टियां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 के दौरान क्रय की गई **₹493456** की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **"परिशिष्ट-8"** में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत **स्टॉक रजिस्टरों** में दर्ज नहीं किया गया था, क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न किए जाने के कारण क्रय की गई सामग्री की खपत की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी । सामग्री से संबन्धित स्टॉक रजिस्टर में लेंखाखन व खपत से संबन्धित माप पुस्तिका में लेखांकन **आगामी** अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.84 लाख का अनियमित भुगतान

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1),(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किए गए सभी प्रकार के भुगतान को ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित किया जायेगा। अंकेक्षण में अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 के दौरान भुगतान बिलों की जाँच करने में पाया

गया कि भुगतान ₹84570 जिनका विवरण **परिशिष्ट-9** में दिया गया हैं, को ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, और न ही भुगतान बिल पर पंचायत प्रस्ताव संख्या अंकित की गई थी, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 **₹0.10 लाख के भुगतान से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना**

वाऊचर संख्या 7 दिनांक 31.12.2016 ₹10000/-

उपरोक्त व्यय वाऊचर के माध्यम से ₹10000 का भुगतान सचिव, ग्राम स्वास्थ्य समिति भोंट को " Total Health Campaign" हेतु किया गया था। परन्तु भुगतान पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान अवधि तक अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था । वर्तमान समय तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने से यह संदेह प्रतीत होता हैं कि क्या वास्तव में इस राशि का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया गया हैं जिसके लिए यह राशि प्राप्त की गई थी। अत: भुगतान के बदले उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली संबन्धित समिति से की जानी सुनिश्चित की जाए

17. **चौकीदार, को किए गए के भुगतान के संदर्भ में आवश्यक उपस्थिति रजिस्टर इत्यादि न बनाये जाने बारे।**

अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 के दौरान चौकीदार **व अन्य कर्मचारियों** को किए गए भुगतान की पड़ताल करने पर पाया कि इन सभी कर्मचारियों को मासिक आधार पर भुगतान किया गया था। परन्तु जिस अवधि के लिए भुगतान किया गया था उस अवधि का उपस्थिति रजिस्टर नही बनाया गया था। जिसके कारण इस सभी कर्मचारियों को किए गए भुगतान की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

18. **विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना**

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी रजिस्टर		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते**(Ladgers)**	7	29(1)
6	**वर्गीकृत सार (Classified Abstract)**	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)

8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

19. प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 विविध अनियमितताए

(क) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत **द्वारा** अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म-7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर **वर्गीकृत सार (Classified Abstract)** का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर **वर्गीकृत सार (Classified Abstract)** का निर्माण नहीं किया गया था। **वर्गीकृत सार (Classified Abstract)** का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय **का** बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार **वर्गीकृत सार (Classified Abstract)** का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि **1-4-2014 से 31-3-2017 के** दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत **रोघी**

द्वारा नहीं बनाई गई थी। अत: नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पढ़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत **रोघी** द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही रसीदों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

21. **लघु आपति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

22. **निष्कर्ष:-** लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्या:– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(ix) 1/2017 खण्ड–1–1940–1943 दिनांक 19.3.2018
शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कल्पा, जिला शिमला हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत रोघी, विकास खण्ड कल्पा, जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881